इस्पात मंत्रालय राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2560 17 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत

2560. श्री सुशील कुमार गुप्ता:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास घरेलू इस्पात निर्माताओं को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है तािक वे औद्योगिक और निर्माण क्षेत्र में उपयोग के लिए नए उत्पादों को विकसित करने के अलावा स्थानीय स्तर के साथ-साथ निर्यात बाजारों में भी प्रतिस्पर्धी बन सकें;
- (ख) क्या यह भी सच है कि प्रति व्यक्ति इस्पात की घरेलू खपत प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत के वैश्विक औसत का केवल एक तिहाई है; और
- (ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्रीधर्मेंद्र प्रधान)

- (क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है तथा किसी कंपनी विशेष द्वारा किसी उत्पाद ग्रेड की उत्पादन क्षमता की संस्थापना के संबंध में प्रौद्यो-आर्थिक आधारों पर निर्णय लिया जाता है। विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-20 के दौरान तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत समान अविध के दौरान 229 किलोग्राम की वैश्विक औसत की तुलना में 74.7 किलोग्राम थी। सरकार द्वारा स्वदेशी इस्पात निर्माताओं को प्रोत्साहित करने तथा प्रति व्यक्ति खपत को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का विवरण निम्नानुसार है:-
- (i) 08 मई, 2017 को अधिसूचित राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए इस्पात और उच्च ग्रेड ऑटोमोटिव इस्पात, इलैक्ट्रिकल इस्पात, विशेष इस्पात और मिश्र धातुओं की समग्र माँग को स्वदेशी रूप से पूरा करने की परिकल्पना की गई है। इसका तथ्य 2030-31 तक इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत को बढ़ाकर 160 किलोग्राम किया जाना भी है।
- (ii) स्वदेशी रूप से विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति स्वदेशी रूप से उत्पादित इस्पात के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देती है।

- (iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वदेशी उत्पादकों द्वारा निर्मित इस्पात अथवा देश में आयात किए जा रहे इस्पात की गुणवत्ता भारतीय मानकों के अनुरूप है, 145 लौह एवं इस्पात उत्पादों के अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण के लिए इस्पात और इस्पात उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करना।
- (iv) देश में पूँजीगत निवेश को आकर्षित करने तथा विशेषीकृत इस्पात के उत्पादन में सहायता करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा हाल ही उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत 'विशेषीकृत इस्पात' को शामिल किया गया है।
- (v) इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 में रिड्यूस, री-यूज, री-साइकल, रिकवर, री-डिजाइन एवं री-मैन्युफैक्चर के 6आर के सिद्धांत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्क्रैप उपलब्धता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और स्क्रैप के आयात पर निर्भरता को घटाने के लिए पूरे भारत में संगठित एवं वैज्ञानिक धातु स्क्रैपिंग केन्द्रों के माध्यम से फेरस स्क्रैप के प्रसंस्करण तथा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु पर्यावरण अनुकूल बेहतर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की परिकल्पना की गई है।
- (vi) इच्छुक इस्पात आयातकों द्वारा आशयित आयातों की अग्रिम सूचना प्रस्तुत करने तथा उद्योग को स्वदेशी विनिर्माण की आयोजना में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस्पात के आशयित आयात के अग्रिम पंजीकरण के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की 05.09.2019 को अधिसूचना जारी की गई।
- (vii) इस्पात मंत्रालय ने देश में इस्पात की कुल माँग तथा खपत में वृद्धि करने के उद्देश्य से निम्नलिखित वेबिनारों का आयोजन किया है:
 - (क) तेल एवं गैस क्षेत्र, दिनांक 16 जून, 2020
 - (ख) इस्पाती इरादा, इस्पात के उपयोग में वृद्धि करना, दिनांक 30 जून, 2020
 - (ग) आवासन एवं नागर विमानन क्षेत्र, दिनांक 18 अगस्त, 2020
 - (घ) कृषि, ग्रामीण विकास, डेयरी उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, दिनांक 20 अक्टूबर, 2020
- (viii) सरकार ने दिनांक 01.10.2020 की अधिसूचना के माध्यम से स्वदेशी इस्पात उत्पादकों द्वारा ईईपीसी के एमएसएमई सदस्यों को निर्यात समतुल्य मूल्य पर इस्पात की 4 उत्पाद श्रेणियों (हॉट रोल्ड क्वायल, कोल्ड रोल्ड क्वायल, वायर रॉड्स एवं अलॉय स्टील बार्स) की सीमित मात्रा को उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की है।
